न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनीय आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 04/17 (223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या 2017/00048

उनवान

हरीकान्त पुत्र बैजनाथ जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मढाभाऊ तहसील व जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. धनीराम
2. मुन्नालाल
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील धौलपुर।

..... असल रेस्पोडेण्ट

4. श्रीकान्त पुत्र बैजनाथ जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मढाभाऊ तहसील व जिला धौलपुर।

.....तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी धौलपुर दि0 11.07.2016 प्र.सं. 84/2014 उनवानी हरीकांत बनाम धनीराम।

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्र सिंह राणा वकील अपीलांट।
2. श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे, श्री रामअवतार गौड वकील रैस्पो0।

निर्णय दिनांक–21.01.2025

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम मढाभाऊ तहसील व जिला धौलपुर के खातेदार काश्तकार वादी अपीलाण्ट हैं। प्रतिवादी रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। परन्तु वह ताकत के बल पर वादी अपीलाण्ट की आराजी को हडपना चाहते हैं। वादी अपीलाण्ट जब अपनी आराजी पर काश्त करने गये तो प्रतिवादी रैस्पो0 लट्ठ आदि लेकर वादी अपीलाण्ट को विवादित आराजी से बेदखल करने लगे। यदि वह अपनी उपरोक्त मंशा में सफल हो गये तो वादी अपीलाण्ट को अपरमित क्षति होगी। अतः वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादी रैस्पो0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधि...
भरतपुर कैम्प धौलपुर

ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2016 खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरुद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया। रैस्पों0 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त नहीं है एवं उन्होंनें गलत प्रकार से खातेदारी अधिकार प्राप्त किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाब दावा के आधार पर प्रकरण में कोई तनकीयात कायम नहीं की गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण न्याय आपके द्वार में रखकर, तहसीलदार से विवादित आराजी पर कब्जे संबंधी रिपोर्ट लेकर अपीलाण्ट का दावा गलत प्रकार से खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में विवादित आराजी पर रैस्पो0 ने भी अपने जवाब दावा में स्वयं का कब्जा होना अंकित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को विवादित आराजी पर कब्जा प्रमाणित करने का कोई मौका ही नहीं दिया। मियाद के संबंध में उनका निवेदन है कि अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र लगाया गया है। रैस्पो0 ने उनके प्रार्थना पत्र का कोई जवाब नहीं दिया एवं ना ही काउण्टर शपथ पत्र ही लगाया है। अतः प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही माने जावेगें। अंत में अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी को क्षमा करते हुये अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन ओदश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। न्याय आपके द्वार का उद्देश्य मौके पर ही विवाद को समाप्त करना होता है। उसी के तहत प्रकरण निस्तारित किया गया। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट पर अपीलाण्ट ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी। स्थाई निषेधाज्ञा का दावा किया है तो कब्जा तो सिद्ध करना ही होगा। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.07.2016 का है एवं अपील दिनांक 17.01.2017 को लगभग छः माह बाद प्रस्तुत की गयी है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब का कोई तर्कसंगत कारण प्रार्थना पत्र में दर्ज नहीं किये गये हैं। अतः अपील मियाद के बिन्दू पर ही खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 11.07.2016 पर अपीलाण्ट के हस्ताक्षर हैं। अतः यह नहीं कह सकते कि अपीलाधीन आदेश की उन्हें जानकारी नहीं थी। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2013(1) पेज 85, 2013(2) पेज 1060, 2021(1) पेज 260 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय में दावा स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत हुआ। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में दिनांक 13.04.2015 को जवाब दावा प्रस्तुत हुआ। अधीनस्थ

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

न्यायालय ने उक्त पेशी दिनांक को अग्रिम पेशी दिनांक 24.04.2015 वास्ते कायमी तनकीयात निर्धारित की गयी। तत्पश्चात् प्रकरण वास्ते कायमी तनकीयात एवं पीठासीन अधिकारी के अन्य राज कार्य में व्यस्त होने के कारण दिनांक 25.04.2016 तक विचाराधीन रहा। तत्पश्चात् दिनांक 10.05.2016 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा गया, जिसमें पक्षकारो में राजीनामा हेतु सहमति नहीं बनने पर अग्रिम पेशी 11.07.2016 निर्धारित करते हुये, राजस्व लोक अदालत में तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाब दावा के आधार पर ना तो प्रकरण में कोई तनकीयात कायम की गयी हैं एवं ना ही पक्षकारान को अपना पक्ष रखने अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर ही दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 10.05.2016 में स्पष्ट अंकित है कि पक्षकारान राजीनामा को सहमत नहीं हैं, तो अधीनस्थ न्यायालय बिना राजीनामा/सहमति के, मात्र तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व लोक अदालत में किस प्रकार प्रकरण का अंतिम निस्तारण कर सकते हैं। किसी भी पत्रावली का न्यायिक निस्तारण केवल न्यायालय परिसर में ही किया जा सकता है, केवल राजीनामा व सहमति के आधार पर पत्रावलियों का निस्तारण न्यायालय के अतिरिक्त किसी कैम्प में विधि अनुसार किया जा सकता है। राजस्व लोक अदालत का भी उद्देश्य केवल यही था कि आपसी सहमति एवं राजीनामें के आधार पर चल रही पत्रावलियों का निस्तारण कैम्प में किया जावें। परन्तु हस्तगत प्रकरण में पक्षकारो के मध्य कोई राजीनामा होना दृष्टिगोचर नहीं होता है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2016 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम कर एवं उभयपक्ष को सुनवाई/साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये, पुनः विधिसम्मत तनकीवार तार्किक निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान् को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.02.2025 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
भरतपुर